भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
मौखिक प्रश्न संख्या : 152
गुरुवार, 1 अगस्त, 2024/10 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

उड़ानों में विलंब

***152. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:**
श्री वसंतराव बलवंतराव चव्हाण:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उड़ानों में विलंब के कारणों का समाधान करने के लिए विमान कंपनियों के साथ कोई विचार-विमर्श किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) विनियामक निकाय और विमान कंपनियों के बीच प्रभावी सम्प्रेषण सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र मौजूद है;
(ग) क्या बार-बार होने वाले विलंब को रोकने हेतु सरकार द्वारा विमान कंपनियों के लिए कोई तंत्र अथवा दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं/किए जाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार की विमानन प्रशिक्षण और उत्पादन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेशी संस्थाओं पर निर्भर रहने के बजाय विश्वस्तरीय कौशल प्राप्त करने के लिए विमानन अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू)

(क) से (ड.) : विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

उड़ानों में विलंब के संबंध में श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे और श्री वसंतराव बलवंतराव चव्हाण द्वारा पूछे गए दिनांक 01.08.2024 के लोक सभा मौखिक प्रश्न संख्या 152 के के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): मौसम, तकनीकी और परिचालन संबंधी समस्याओं जैसे कारणों से कभी-कभी उड़ानों में विलंब हो जाता है।
डीजीसीए अपनी निगरानी, स्पॉट जाँच, रात्रि निगरानी के माध्यम से यह सुनिश्चित करता है कि एयरलाइन/प्रचालक तकनीकी देरी की पुनरावृत्ति को कम करने के लिए उचित कार्रवाई करें और अनुरक्षण में सहायता के लिए उनके पास पर्याप्त श्रमशक्ति, अतिरिक्त पुर्जे और अवयव हों। यदि कोई महत्वपूर्ण गैर-अनुपालन देखा जाता है जो सुरक्षा मानक को कम कर सकता है और उड़ान सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है, तो डीजीसीए संबंधित एयरलाइन के साथ इस मुद्दे को उठाता है ताकि गैर-अनुपालन को दूर करने के लिए समय पर कार्रवाई की जा सके।

(ख): डीजीसीए ने नागर विमानन अपेक्षाएं (सीएआर) जारी की हैं, जो न्यूनतम सुरक्षा अपेक्षाओं को निर्धारित करती हैं और सुरक्षित विमान परिचालन सुनिश्चित करने के लिए एयरलाइनों द्वारा इनका पालन किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा, डीजीसीए एयरलाइनों/प्रचालकों/रखरखाव संगठनों को परिपत्र भी जारी करता है जो सीएआर के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

डिफेक्ट रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग, अन्वेषण, सुधार और विश्लेषण पर सीएआर खण्ड 2 श्रंखला ग भाग I में वह तरीका विनिर्दिष्ट किया गया है जिससे समय पर सुधारात्मक/निवारक कार्रवाई करने के उद्देश्य से विमान और विमान के कलपुर्जों में डिफेक्ट/सर्विस संबंधी कठिनाइयों को रिकॉर्ड, रिपोर्ट, अन्वेषित और विश्लेषित किया जाना है।

(ग): एयरलाइनें विमान के सुरक्षित परिचालन के लिए विनिर्माता के अनुदेशों के अनुसार डिफेक्टों के संबंध में उचित सुधारात्मक कार्रवाई करती हैं। रखरखाव में सहायता के लिए अतिरिक्त पुर्जों और अवयवों की कमी, पर्याप्त श्रमशक्ति की अनुपलब्धता, इंजिनों सहित विमान या इसके हिस्सों के डिजाइन/विनिर्माण से संबंधित मुद्दों के कारण भी बार-बार देरी हो सकती है। डीजीसीए अपनी निगरानी प्रणाली के माध्यम से यह सुनिश्चित करता है कि एयरलाइनें सुरक्षित विमान परिचालन सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करें।

(घ) और (ङ): सरकार, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के प्रशिक्षण प्रभाग के माध्यम से अपने विमानन अधिकारियों को व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। डीजीसीए का प्रशिक्षण प्रभाग, डीजीसीए अधिकारियों की तकनीकी और सामान्य दोनों प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वे अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने के के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से सुसज्जित हों। डीजीसीए ने आरंभ से एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर प्रशिक्षण संस्थान की अपेक्षाओं को विनिर्दिष्ट करने वाली सीएआर 147 (मूल) और एएमई प्रकार के प्रशिक्षण संस्थानों की अपेक्षाओं पर सीएआर 147 के रूप में व्यापक अपेक्षाएं भी निर्धारित की हैं।

इसके अलावा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) में एक स्थापित "प्रशिक्षण और विकास" प्रणाली मौजूद है, जो भर्ती चरण में नव-नियुक्त श्रमशक्ति के प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और साथ ही उन्हें पुनः कौशल प्रदान करने और उनके कौशल उन्नयन के लिए समय-समय पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के माध्यम से "सेवारत" कर्मियों को प्रशिक्षित करती है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को भारत में तीन संस्थानों अर्थात नागर विमानन प्रशिक्षण केंद्र, इलाहाबाद, हैदराबाद प्रशिक्षण केंद्र, हैदराबाद और राष्ट्रीय विमानन प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (एनआईएटीएएम), गोंदिया में वैश्विक मानकों के अनुसार प्रशिक्षित किया जाता है। इसी तरह, अग्निशमन कर्मियों को कोलकाता और नई दिल्ली में स्थित विशेष अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षित किया जाता है। इसके अलावा, दिल्ली स्थित भारतीय विमानन अकादमी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सभी कर्मियों के लिए क्षेत्र विशिष्ट प्रशिक्षण और प्रबंधन पाठ्यक्रम आयोजित करती है।

*****